

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक:

/जि०यो०-प्र०वि०स्वी०/2025-26 दिनांक

25 जून 2025

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 41/168/जा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के क्रम में जनपद का परिचय निर्धारित कर एवं सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII(1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रु०, अनुदान संख्या-30 एस०सी०पी० हेतु 1712.40 लाख रु० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रु० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रु० अधोहस्ताक्षरी के निर्वहन पर रखा गया है।

जल निगम पिथौरागढ़ के तीनों खण्डों (पेयजल निगम पिथौरागढ़, डीडिहाट, गंगोलीहाट) की जिला योजना वर्ष 2025-26 हेतु रु० अनुमोदित परिचय्य रु० 590.00 लाख के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम पिथौरागढ़ को प्रथम किस्त में कार्य हेतु कुल 196.00 लाख, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम डीडिहाट को प्रथम किस्त में कार्य हेतु कुल रु० 92.75 लाख, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम गंगोलीहाट को प्रथम किस्त में कार्य हेतु कुल रु० 124.25 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	मद / कार्य का नाम	जिला योजना 2025-26 हेतु परिचय्य	प्रथम किस्त में आवंटित धनराशि			
			सामान्य	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल
			4	5	6	7
1	2	3				
1	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (पिथौरागढ़ खण्ड)	280.00	157.41	24.39	14.20	196.00
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (डीडीहाट खण्ड)	132.50	83.37	9.38	0.00	92.75
3	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (गंगोलीहाट खण्ड)	177.50	103.36	20.89	0.00	124.25
	योग-	590.00	344.14	54.66	14.20	413.00

कार्यों का विवरण

धनराशि मांग का कार्यवार विवरण								
निर्माण शाखा, पिथौरागढ़								
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य स्वीकृति वर्ष	कार्य की कुल लागत	कार्य की धनराशि	कार्य में 2024-25 तक प्राप्त/व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वर्ष 2025-26 में अनुमोदित धनराशि	वर्ष 2025-26 में प्रथम किस्त हेतु धनराशि का मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सामान्य								
1	नगरीय पेयजल अनुरक्षण	2024-25	64.84	0.00	0.00	0%	45.00	31.50
2	घ्वज सोलर पम्पिंग	2024-25	68.77	33.50	20.00	30%	48.77	34.14
3	मडसोन रोवाहाट	2024-25	37.33	26.03	10.00	70%	27.33	19.13
4	सिमागोली सोलर पम्पिंग	2024-25	68.77	49.08	20.00	80%	48.77	34.14
5	दुर्गानगर पी०पी०	2025-26	30.00	0.00	0.00	0%	10.00	7.00
6	सतरावाँखरा सोलर पम्पिंग	2025-26	68.00	0.00	0.00	0%	10.00	7.00
7	खडायतगोद सोलर पम्पिंग	2025-26	78.84	0.00	0.00	0%	15.00	10.50
8	रम्माडी पी०पी०	2025-26	37.08	0.00	0.00	0%	10.00	7.00
9	मल्दीबडात पी०एच०सी पी०पी०	2025-26	37.08	0.00	0.00	0%	10.00	7.00
	योग		490.71	108.61	50.00		224.87	157.41
एस०सी०पी०								
1	नगरीय पेयजल अनुरक्षण	2024-25	64.84	0.00	0.00	0%	19.84	13.89
2	सिडलेख सोलर पम्पिंग	2025-26	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	10.50
	योग		79.84	0.00	0.00		34.84	24.39

स0पी0

1	कन्तोलीवनराजी पे0यो0	2025-26	46.39	0.00	0.00	0%	13.29	9.30
2	जोहार कालोनी पडा खोस ऑगमेटेसन	2025-26	7.20	0.00	0.00	0%	7.00	4.90
2	योग		53.59	0.00	0.00		20.29	14.20
	योग नि0शा0 पिथौरागढ		624.14	108.61	50.00		280.00	196.00

निर्माण शाखा, डीडिहाट

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य स्वीकृति वर्ष	कार्य की कुल लागत	कार्य के टैण्डर की धनराशि	कार्य में 2024-25 तक प्राप्त / व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वर्ष 2025-26 में अनुमोदित धनराशि	वर्ष 2025-26 में प्रथम किस्त हेतु धनराशि का मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सामान्य

1	डीडीहाट नगर पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	16.00	16.00	0.00	0%	13.00	9.10
2	बुडकाफल सोलर पम्पिंग (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
3	हुनेरा हुस्कापीठा ग्रा0स0 पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
4	पन्थयाली पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
5	गोल पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
6	लेजम पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
7	बत्यूली पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
8	सौगांव पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
9	अठखेत पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
10	मस्मोली पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
11	कालामुनि सुन्धरीनाग ग्रा0स0 पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	6.00	6.00	0.00	0%	6.00	4.20
12	नाचनी बोंसबगड ग्रा0स0 पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	8.00	8.00	0.00	0%	8.00	5.60
13	आमधार भैसखाल सोलर पम्पिंग (अनुरक्षण)	2025-26	4.00	4.00	0.00	0%	4.00	2.80
14	धारचूला पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	10.00	10.00	0.00	0%	10.00	7.00
15	न्यू पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
16	स्याकुरी पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
17	खेत पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
18	रमतोली पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
19	गलाती पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
20	खुम्ती पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
21	दर पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
22	गिरगांव पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
23	बनीक रातापानी पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
24	नापड पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
25	गूठी पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
26	धामीगांव पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
27	बिथी पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	8.10	8.10	0.00	0%	8.10	5.67
28	गुजी पे0यो0 (अनुरक्षण)	2025-26	7.00	7.00	0.00	0%	7.00	4.90
	योग		122.10	122.10	0.00	0.00	119.10	83.37

सी०पी०								
1	डीडीहाट पम्पिंग पे०यो० (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
2	सोबला पे०यो० (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
3	ननकुडी पे०यो० (अनुरक्षण)	2025-26	4.40	4.40	0.00	0%	4.40	3.08
4	अटलगॉव पे०यो० (अनुरक्षण)	2025-26	3.00	3.00	0.00	0%	3.00	2.10
	योग		13.40	13.40	0.00	0.00	13.40	9.38
	योग नि०शा० डीडीहाट		135.50	135.50	0.00	0.00	132.50	92.75

निर्माण शाखा, गंगोलीहाट

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य स्वीकृति वर्ष	कार्य की कुल लागत	कार्य के टैण्डर की धनराशि	कार्य में 2024-25 तक प्राप्त/व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वर्ष 2025-26 में अनुमोदित धनराशि	वर्ष 2025-26 में प्रथम किस्त हेतु धनराशि का मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सामान्य (चालू योजनायें)								
1	चनकाना रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना	2025-26	29.93	0.00	0.00	0%	29.93	20.95
2	सिरौली -बटगरी रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना	2025-26	29.23	0.00	0.00	0%	29.23	20.46
3	चौकोडी उडियारी पम्पिंग पेयजल योजना अनुरक्षण कार्य	2025-26	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	21.00
4	बेरीनाग पम्पिंग पेयजल योजना अनुरक्षण कार्य	2025-26	10.25	0.00	0.00	0%	10.25	7.18
5	ग्वासीकोट पम्पिंग पेयजल योजना अनुरक्षण कार्य	2025-26	9.74	0.00	0.00	0%	9.74	6.82
6	पोखरी भैरग पम्पिंग पेयजल योजना अनुरक्षण कार्य	2025-26	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	7.00
7	पुरानाथल पेयजल योजना अनुरक्षण कार्य	2025-26	7.00	0.00	0.00	0%	7.00	4.90
8	बटगल पेयजल योजना अनुरक्षण कार्य	2025-26	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	4.20
9	नौतस पेयजल योजना अनुरक्षण कार्य	2025-26	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	3.50
10	सोलर पैनल सप्लाय कार्य	2025-26	10.50	0.00	0.00	0%	10.50	7.35
	योग		147.65	0.00	0.00	0.00	147.65	103.36
एस०सी०पी०(चालू योजनायें)								
1	ठठोली रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना	2025-26	29.85	0.00	0.00	0.00	29.85	20.89
	योग		29.85	0.00	0.00	0.00	29.85	20.89
	योग नि०शा० गंगोलीहाट		177.50	0.00	0.00		177.50	124.25
	महायोग पेयजल निगम, पिथौरागढ़		937.14	244.11	50.00		590.00	413.00

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार पेयजल निगम के कमशः तीनो खण्डो हेतु अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम पिथौरागढ़, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम डीडीहाट, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम गंगोलीहाट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2025-26 के उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम पिथौरागढ़, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम डीडीहाट, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम गंगोलीहाट को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 41/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 17 अप्रैल, 2025 एवं सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII (1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम पिथौरागढ़ को सामान्य कार्यों हेतु रू० 157.41 लाख , एस०सी०पी० हेतु रू० 24.39 लाख, टी०एस०पी० हेतु रू० 14.20 एवं अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम डीडीहाट को सामान्य कार्यों हेतु रू० 83.37 लाख, एस०सी०पी० हेतु रू० 9.38 लाख, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम

- 1- हाट को कार्यों हेतु सामान्य में रु0 103.36 लाख, एस0सी0पी0 हेतु रु0 20.89 लाख इस प्रकार कुल 413.00 लाख रु0, र करोड तेरह लाख रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है—
- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययाधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- 9- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 10- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 11- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जायें।
- 12- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्चूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI4I(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
- 13- जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- 15- स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
- 16- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 17- जिन कार्यों को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यों में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की

तो है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

18-विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

19- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।

20- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।

21-सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII (1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 के बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

22 - निर्गत धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम पिथौरागढ़, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम डीडिहाट, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम गंगोलीहाट की होगी।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

संख्या: 201/जि0यो0-2/प्रा0वि0स्वी0/2025-26 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1.अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम पिथौरागढ़, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम डीडिहाट, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम गंगोलीहाट।
- 2.मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 3.अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4.उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।
- 5.निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
- 6 मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग बजट सैल उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।